

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
जनपद-लखनऊ/गोरखपुर/मुजफ्फरनगर/बागपत/इटावा।

पत्रांक- 132/सा0-एक/एक्स-120(7)/पा0क्ली0किया0/2016-17, दिनांक 17 मई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण(राज्य योजना) में शासनादेश संख्या-59/2016/942/सैतीस-2-2016-1(2)/2013टीसी, दिनांक 04.05.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2800.00 हजार के समक्ष व्यय के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आवंटन आदेश सं0-48/बजट/29(5)/अनु0-15/13/2016-17 दिनांक 11.05.2016 एवं आदेश सं0-52/बजट/29(5)/4403/07/2016-17 दिनांक 11.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण(राज्य योजना) में शासनादेश संख्या-59/2016/942/सैतीस-2-2016-1(2)/2013टीसी, दिनांक 04.05.2016 के माध्यम से अवमुक्त राजस्व मद रू0 1800.00हजार व पूंजीगत मद रू0 1000.00हजार अर्थात् कुल धनराशि रू0 2800.00हजार(रू0 अट्ठाईस लाख मात्र) के समक्ष आपके जनपद में स्थापित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन एवं सुदृढीकरण हेतु भी विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटित की गई है। उक्त आवंटित धनराशि के व्यय के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

- प्रश्नगत आवंटित धनराशि का व्यय जनपद में स्थापित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन एवं सुदृढीकरण पर ही किया जाए।
- विभिन्न मानक मदों में धनराशि के व्यय हेतु आवश्यक निवेशों की आवश्यकता/ऑकलन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के अधीक्षक/प्रभारी के परामर्श/सलाह से की जाए।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जाना है।
- मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में आवंटित धनराशि पूंजीगत मद की है। फलतः उक्त मद का संज्ञान लेते हुये ही संयंत्र/उपकरण/मशीनों का कय/व्यवस्था की जाय।
- मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में आवंटित धनराशि के समक्ष औषधि तथा रसायनों का ऑकलनकर, इनके कय हेतु नियमानुसार मांग/प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- विभागीय विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के समक्ष कतिपय सामानों की विभागीय दर के निर्धारण न होने की दशा में बाहर से क्रय की जाने वाली दवाओं/उपकरणों/सामग्री/फर्नीचर आदि का क्रय वर्तमान स्थानीय बाजार दरों से अधिक नहीं होना चाहिये।
- निविदा/कोटेशन के माध्यम से दवाओं/उपकरणों/सामग्री/फर्नीचर आदि के दर निर्धारण/क्रय किये जाने से पूर्व सम्बन्धित फर्मों के विगत वर्ष तक आयकर रिटर्न, वाणिज्य विभाग में चैट टैक्स जमा एवं तद्विषयक अदेयता प्रमाण-पत्र का परीक्षण अवश्य कर लिया जाय।
- योजनान्तर्गत किसी मानक मद में ₹0 1.00लाख से अधिक तथा ₹0 10.00लाख की सीमा तक व्यय करने से पूर्व तद्विषयक निर्गत शासनादेश के अनुरूप विभागाध्यक्ष से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही धनराशि ₹0 10.00लाख से अधिक व्यय किये जाने की दशा में शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।
- धनराशि के व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यतन निर्गत क्रय भण्डार नियमावली विषयक शासनादेश में इंगित शर्तों/दशाओं/प्रतिबंधों के साथ-साथ विभागीय निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय.

(डा० ए०पी० सिंह)

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक- /सा०-एक/एक्स-120(7)/पा०क्ली०क्रिया०/2016-17, तद्दिनांक
प्रतिलिपि-अधीक्षक/प्रभारी, पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक, बादशाहबाग(लखनऊ), मुजफ्फरनगर,
गोरखपुर, बडौत(बागपत) एवं सैफई(इटावा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि
पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक हेतु विभिन्न मानक मदों में आवश्यक निवेशों/संसाधनों की
आवश्यकता का आकलन कर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से समन्वय करते हुये नियमानुसार
पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन एवं सुदृढीकरण पर धनराशि का व्यय सुनिश्चित
करायें।

(डा० ए०पी० सिंह)

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।